कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204 **Email- eepdpwdkpg@gmail.com**

दिनांक 6 /11 /2023

पत्रांक 2122 /10 वि०दा०

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः– **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट में बंगाली (बांजबगड़) से रूईसांण तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FK/UK/Road/146251/2021**

सन्दर्भः– [redacted] **आपका पत्रांक 3461/12–1 दिनांक, गोपेश्वर, जनवरी 11 2023**

महोदय,

उपरोक्त विषयक वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में आपके द्वारा इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव पुनः प्रेषित किया जा रहा है। निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् है–

क.सं.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–। एवं पार्ट–।। में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित के.एम.एल. फाईल एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना में मार्ग की लम्बाई 19 किमी. अंकित की गयी है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	त्रुटिवश 19 किमी. अंकित की गयी थी, को संशोधित कर 11.625 किमी. कर दिया गया है।
3	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण 1.65 है. आरक्षित वन भूमि में लिया गया है का औचित्य स्पष्ट करते हुए मलवा निस्तारण हेतु अन्यत्र स्थल का चयन किया जाय।	चूंकि वर्णित मोटर मार्ग की 6.975 किमी. लम्बाई आरक्षित वनभूमि में अवस्थित है। अतः प्रति 02 किमी. हेतु 01 डम्पिंग यार्ड का प्राविधान किया गया है।
4	प्रस्ताव में मलवा निस्तारण योजना के लिये Reclamation Plan प्रस्तुत करें।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
5	प्रस्ताव में ऑनलाईन ।। के पैरा 4(ii) में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 384 तथा हार्ड प्रति 445 अंकित की गयी है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
6	प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट ।। एवं हार्ड प्रति में अधिकांश प्रभावित होने वाले वृक्षों का वैज्ञानिक नाम अंकित नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता ऐजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
7	प्रस्ताव में लैण्ड शैड्यूल एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण एस.ओ.पी. के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अंकित किया जाय।	निराकरण कर दिया गया है।
8	प्रस्ताव में जिलाधिकारी द्वारा निर्गत एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र में पत्रांक अंकित नहीं है।	जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्गत एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र में पत्रांक अंकित नहीं किया जाता है।
9	प्रस्ताव में पार्ट। के पैरा A(iii) में परियोजना का संक्षिप्त विवरण नहीं लिखा गया है।	निराकरण कर दिया गया है।
10	प्रस्ताव में पार्ट। के पैरा B(i) Under Processing at State Government, Proposal No- FP/UK/Road/119888/2021 का उल्लेख किया गया है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	फॉरेस्ट ऑनलाईन पोर्टल में तकनीकी त्रुटि होने के कारण प्रदर्शित हो रहा था। एन0आई0सी0 से वार्ता के उपरान्त निराकरण कर लिया गया है।

क्रमशः–2

11	प्रस्ताव में पार्ट। के पैरा E(iii) में में अस्थायी रोजगार (व्यक्ति दिनों की संख्या) में 40000000 अंकित किया गया है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	वास्तविक अस्थायी रोजगार की संख्या 23,60,000 है जिसे प्रस्ताव में संशोधित कर लिया गया है।
12	प्रस्ताव में पार्ट। Additional information में एन.पी.वी. का प्रमाण पत्र बिना हस्ताक्षर के अपलोड किया गया है।	हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अपलोड कर लिया गया है।
13	प्रस्ताव में वैकल्पिक संरेखण प्रेषित किया जाय।	वैकल्पिक संरेखण तैयार कर प्रेषित किया जा रहा है।
14	प्रस्ताव में के.एम.एल. फाईल का डी.एस.एस. एनालिसिस किया गया जिसमें कुल प्रभावित क्षेत्रफल 18.00 है. (एम.डी.एफ.–7 है., नॉन फॉरेस्ट–7 है., ओपन फॉरेस्ट–2 है. , वी.डी.एफ.–2 है.) प्रदर्शित हो रहा है जबकि आपके द्वारा प्रस्ताव 10.3125 है. (वनभूमि 7.95 है., नाप भूमि 2.3625 है.) का प्रेषित किया गया है, के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय।	चूंकि शासनादेश संख्या 5861/III(2)/18–05(एम0एल0ए0)/2017 दिनांक 04 दिसम्बर 2018 द्वारा विकासखण्ड घाट में बंगाली से विकासखण्ड थराली के रूईसांण तक कुल 22 किमी. लम्बाई हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त है जिसके संरेखण स्वीकृति से पूर्व डिजिटल मैप व के.एम.एल. फाईल तैयार कर ली गयी थी। कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता सातवां वृत्त लो0नि0वि0 गोपेश्वर के पत्रांक 2178/518 यातायात–7/2020 दिनांक 29.06.2020 द्वारा प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग हेतु कुल 11.625 किमी. संरेखण प्रस्ताव स्वीकृत किया गया जिसके क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु कुल 11.625 किमी. हेतु ही प्रस्ताव गठित किया गया। अतः के0एम0एल0 फाईल कुल 22 किमी. तथा प्रस्ताव कुल 11.625 किमी. होने के कारण उक्त विसंगति हुई जिसके निराकरण हेतु पुनः 11.625 किमी. हेतु डिजिटल मैप व के0एम0एल0 फाईल तैयार कर प्रस्ताव संशोधित कर दिया गया है।

6/11/23

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

पत्रांकः– / दिनांकः– / /2023

प्रतिलिपिः– सहायक अभियन्ता प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग।